**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर**

**पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.**

**अपील संख्या 30/2018**

लच्छुराम पुत्र नंदराम जाति मजहबी निवासी 42 जी.बी. हाल चक 7 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। ——अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार राज तहसीलदार श्रीविजयनगर। ——रेस्पोंडेंट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर दिनांक 18.12.2017

**उपस्थितिः–**

श्री भूपसिंह मेघवाल अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को आवंटन नियम 21ए के तहत चक 7 ए.एस के मु.नं. 198/451 के कि.नं 1, 5 से 8, 18 से 25 की कुल 3.074है0 भूमि डी.एल.सी. की दर से आवंटन की गई है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में दिनांक 24.05.2015 को सलाहकार समिति की राय हेतु पत्रावली नियत की गई। अपीलांट अनुसूचित जाति का सदस्य है। डी.एल.सी. की राशि सामान्यजन हेतु निर्धारित है। आवंटन अधिकारी द्वारा डी.एल.सी. की दर के स्थान पर बाजार दर पर

215/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आवंटन किया गया है जो उचित नहीं है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्र.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आवंटन राशि बाजार भाव की जांच कर सही कायम करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि नियम 21ए के तहत डी.एल.सी. की दर से आवंटन किये जाने का प्रावधान है। उसी अनुरूप अधी. न्यायालय ने आवंटन किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 18.12.2017 के विरूद्ध दिनांक 21.03.2018 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा पेश नहीं करने को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी अपीलांट द्वारा विवादित भूमि के आवंटन हेतु नियमन में आवंटन करने हेतु प्रा.पत्र पेश किया। अपीलांट को दिनांक 30.11.2017 को विवादित भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए पत्रावली सलाहकार समिति के समक्ष पेश होने के निर्देश दिये गये एवं दिनांक 18.12.2017 को पत्रावली आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष पेश होने पर विवादित भूमि का आवंटन/नियम करने का आदेश दिनांक 18.12.2017 को दिया गया। अपीलांट ने अपनी अपील में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि राशि गणना पूर्ण रूपेण सही नहीं की गई है जबकि राशि राशि गणना पूर्ण रूपेण सही की गई है तथा राशि जमा कराने पर स्थगन जारी नहीं हुआ है। अतः अपील खारिज योग्य है। साथ ही नियमन की तिथि से 15 दिन के भीतर प्रथम किश्त जमा नहीं होने आवंटन/नियमन भी खारिज योग्य है। तदअनुसार अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अपीलांट को एक मौका दिया

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

जाता है कि निर्णय की तिथि से 15 दिन में प्रथम किश्त आवययक रूप से जमा करवाए यथा निर्णय दिनांक 21.05.2018 से 15 दिन दिनांक 05.06.2018 तक प्रथम किश्त जमा होने पर दिनांक 06.06.2018 को आवंटन आदेश दिनांक 18.12.2017 Automatically निरस्त माना जायेगा।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर